पुलिस का करिशमा: जिनका ट्रक जला उन्ही पर मुकदमा

फरीदाबाद (म.मो.)। दिनांक 30 अप्रैल की रात करीब 11 बजे मृत पशुओं की हड्डियों से भरा एक छोटा ट्रक दिल्ली के रास्ते हापुड़ जा रहा था तो सूरंजकुंड रोड पर गांव अनंगपुर चौक के निकट खराब हो गया। उसमें सवार 5 दलित मजदूर व ड्राइवर आदि जब उसे किसी प्रकार ठीक करने का प्रयास कर रहे थे तो गांव के कुछ हुड़दंगी शरारती तत्वों ने वहां पर यह कह कह कर भीड़ एकत्र कर ली कि ट्रक में गौमांस भरा है। एकत्रित भीड़ को इन्हीं असामाजिक तत्वों ने भड़का कर ट्रक में आग लगा दी तथा पांचो दलितों को भी मार पीट कर उसी आग में जलाने का प्रयास किया।

मौके पर पहुंची पुलिस ने जैसे तैसे भीड़ को नियन्त्रित किया, ट्रक सवार पांचों दलितों को भीड़ से छुटवाया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह रही की उपद्रवी भीड़ एवं शरारती तत्वों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की बजाये उल्टे उन पांचों पीड़ितों के विरूद्ध ही मुकदमा दर्ज कर एक को गिरफ्तार कर लिया, शेष चार खिसकने में कामयाब हो गए। इससे भी बड़ी हास्यास्पद बात तो यह कि मुकदमा भा.दं.सं की धारा 279 व 336 (लापरवाही व तेज गति से वाहन चलाने) के तहत दर्ज किया गया जबकि ट्रक खराब हो कर पहले से ही खड़ा था।

नगर निगम अधिकारियों की यह सोच है कि आठ से दस हज़ार प्रति वर्ग गज की दर से अगर कनवर्जन चार्ज की वसूली हो जाये तो निगम के पास सैंकड़ों करोड़ रुपये आ जायेंगे और उसका इस्तेमाल अफ़सरों, नेताओं, बिचौलियों एवं ठेकेदारों की जेबें भरने में किया जायेगा। पर नगर निगम के अधिकारियों को यह सोचना चाहिए कि उनकी मनमानी चलने वाली नहीं है। नगर निगम को यह अधिकार नहीं है कि वह मनमाने ढंग से सीएलयू चार्ज निर्धारित कर दे। सवाल यह है कि आठ हज़ार अथवा दस हज़ार प्रति वर्ग गज कनवर्जन चार्ज का क्या औचित्य है। यह किस आधार पर तय किया गया है? नगर निगम अधिकारियों को यह सोचना चाहिए कि उसके हर निर्णय में तर्कपरकता होनी चाहिए। नगर निगम कोई फ़र्मान जारी नहीं कर सकता। सीएलयू चार्ज आठ हज़ार की जगह आठ सौ भी हो सकता है।

बताने की जरूरत नहीं कि मनुष्यों की तरह पशु भी मरते हैं। मृत पशुओं का निसतारण करने के लिए नगरपालिकाओं एवं पंचायतों की ओर से बाकायदा ठेके छोड़े जाते है। दलित, विशेष कर चमार जाति के गरीब मजदूर लोग इन पशुओं की खाल उतारने व इनकी हड्डियों को ठिकाने लगाने का काम करते हैं। इन दलित मजदूरों की सराहनीय सेवाओं के चलते मृत पशु सड़कों व गलियों में पड़े-पड़े नहीं सड़ते और सरकार को ठेका राशी के रूप में अच्छी खासी आय भी हो जाती है। ट्रक भर खालें व हड्डियां जब एकत्र हो जाती हैं तो उन्हें हापुड़ या करनाल या किसी अन्य मंडी में ले जा कर बेचा जाता है। सामाजिक तौर पर गंदा एवं घटिया समझे जाने वाले इस काम के लिए ट्रक भी खटारा हालत के ही उपलब्ध होते हैं जो कि जहां-तहां बिगड़ कर खड़े हो जाते हैं। जबकि गौमांस के व्यापारी सदैव नए फर्राटेदार ट्रक रखते हैं जो पुलिस के रोके से भी नहीं रूकते बल्कि पुलिस से मुकाबला करते हैं।

पाठक शायद भूले नहीं होंगे, करीब 7 वर्ष पूर्व झज्जर जिले के दुलिना गांव में भी इसी तरह का एक ट्रक खराब हुआ था। इसमें रखी खालों को शरारती तत्वों ने गाय की बताकर भीड़ से ट्रक में आग लगवा दी थी। उस ट्रक में सवार 5 दलित इतने भाग्यशाली नहीं थे जो मौके से खिसक पाते लिहाजा जिंदा जला दिए गए। उन लोगों ने भाग कर पास की पुलिस चौकी में शरण ली तो चौकी भी जला दी गई थी। शुक्र है यहां की वारदात ने दुलिना कांड की शक्ल नहीं ली लेकिन पुलिस द्वारा शरारती तत्वों के खिलाफ कोई कार्यवाही न करके ऐसे लोगों को ऐसी वारदातें दोहराने के लिए प्रोत्साहित करने का काम किया है। इन्हें यदि उचित सबक न सिखाया गया तो ये लोग भविष्य में इससे भी बड़ी वारदात करेंगे।

इस बाबत पुलिस कमिश्नर से पुछा तो उन्होंने मामले की जानकारी होना तो माना लेकिन थाने की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही से अनभिज्ञता जताई तथा उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। इसके परिणामस्वरूप थाना सूरजकुंड पुलिस ने ट्रक में आग लगाने वाले दंगाइयों के विरूद्ध भा.द.स की धारा 147,149, 323, 435, 427 के तहत मुकदमा नं. 131 दर्ज कर लिया। लेकिन समाचार लिखे जाने तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है और न ही ट्रक सवारों के विरूद्ध दर्ज झूठा मुकदमा रद्द किया गया है।

भूख हड़ताल की भाषा सरकार की समझ में आई

फरीदाबाद (म.मो.)। सेक्टर 55 के निवासी 6 दिन तक डीसी व हूडा कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे। कई लोगों की हालत बिगड़ी हस्पताल में भर्ती हुए लगातार नारेबाजी की तब कहीं जा कर डीसी व हूडा प्रशासक की नींद टूटी और मांगे मानी। मांगे भी बहुत साधारण सी थी जो कि इन अधिकारियों द्वारा बिना कहे पूरी कर दी जानी चाहिये थीं। निवासी चाहते थे कि उनकी सीवरेज व्यावस्था, पेयजल व्यवस्था ठीक से चले सड़के ठीक हो तथा इन पर किए गए अतिक्रमण अथवा रूकावटें दूर हों।

गत लगभग 2 वर्षों में श्रम मंत्री शिवचरण लाल शर्मा द्वारा आश्वासनों की झड़ी लगाते तथा तत्कालीन हूडा प्रशासक डी. सुरेश द्वारा मौका मुआवजा करने तथा समस्या का शीघ्र समाधान करने के आश्वासनों के बावजूद जब हालात बद से बदत्तर होते चले गये तो लोगों को मजबूत धरने व भूख हड़ताल का सहारा लेना पड़ा जाहिर है इस अंधी बहरी सरकार को यही भाषा समझ में आती है।

अपराधी पार्षद के बचाव में भाजपा हुई बेनकाब

फरीदाबाद (म.मो.) अपने आपको औरो से अलग किस्म की पार्टी (पार्टी विद ए डिफरेंस) कहने वाली भाजपा पहली मई को उस वक्त पूरी तरह से वे पर्दा हो गयी जब उसने अपराधी पार्षद कुलदीप उर्फ भप्पा के समर्थन में थाना सेक्टर 7 पर प्रदर्शन किया। भाजपा नेताओं ने इस मामूली प्रदर्शन को थाने का घेराव बताया था, यदि ये लोग वास्तव में ही घेराव करते तो भाजपा की सारी औकात साम आ जाती ।

प्रदर्शन करने वाले करीब 100 लोगों का नेतृत्व तिगांव से विधायक एवं प्रदेश भाजपा प्रधान किशनपाल गुर्जर ने किया। उनका कहना था कि भाजपा के पार्षद भप्पा के खिलाफ पुलिस ने जो झूठा मुकदमा दर्ज किया है उसे तुरंत खारिज किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह झूठा मुकदमा स्थानीय विधायक आनंद कौशिक के कहने पर दर्ज किया है। उन्होंने भप्पा को बेगुनाह बताते हुए इस मुकदमे को राजनीतिक रंजिश का परिणाम बताया।

विदित है कि अपराध की दुनिया से राजनीति में आए भप्पा ने सेक्टर-7 स्थित हूडा मार्केट के एससीएफ नं0 33 में, जिसे हूडा ने रिज्यूम कर रखा है, जबरन कब्जा कर रखा है। कब्जा हटाने आए हूडा के एसडीओ व अन्य कर्मचारियों से जब इसने मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी तो एसडीओ अजीत सिंह की शिकायत पर पुलिस ने उसके विरूद्ध बहुत ही हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया।

हैरानगी की बात है कि अपने अपको औरों से भिन्न पार्टी बताने वाले नेता कृष्णपाल को यह कहते जरा भी दिक्कत या शर्म महसूस नहीं हो रही थी कि भप्पा के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। विदित है कि जिस पार्षद की वकालत भाजपा नेता कर रहे थे उसके विरूद्ध न केवल दर्जनों मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं बल्कि थाना सेक्टर- 7 के ही एक मुकदमा नं. 418 दिनांककित 24-9-11 में तत्कालीन ऐसीजेएम बुद्धि दिवाकर ने उसे 7.3. 2007 को भगोडा अपराधी (पीओ) भी घोषित कर दिया था। इसी मुकदमें में भप्पा के साथ लटकन आदि जेल में सजा काट रहे हैं और भाजपा उसे नेता बनाने पर उतारू है।

थाना सैक्टर 7

1 एफआईआर नं0 418 दिनांक 24-9-99, भा.द.सं की धारा अन्तरार्गत 427, 506, 34
2 एफआईआर नं0 200 दिनांक 7-6-2000, भा.द.सं की धारा अन्तरार्गत 452, 323, 506
3 एफआईआर नं0 264 दिनांक 14-7-200, भा.द.सं की धारा अन्तरार्गत 364,341,34
4 एफआईआर नं0 306 दिनांक 22-6-2001, भा.द.सं की धारा अन्तरार्गत 307
5 एफआईआर नं0 83 दिनांक 9-3-05, भा.द.सं की धारा अन्तरार्गत 323, 325, 324, 506
6 एफआईआर नं0 48 दिनांक 1-2-07, भा.द.सं की धारा अन्तरार्गत 147,148, 323, 506, 356, 380, 452
7 एफआईआर नं0 121 दिनांक 4-3-03, भा.द.सं की धारा अन्तरार्गत 452, 506, 323, 427, 148, 149
8 एफआईआर नं0 458 दिनांक 8-11-07, भा.द.सं की धारा अन्तरार्गत 384, 506
9 एफआईआर नं0 393 दिनांक 8-1-2000, भा.द.सं की धारा अन्तरार्गत 279, 335, 506
10 एफआईआर नं0 575 दिनांक 19-10-08, भा.द.सं की धारा अन्तरार्गत 25, 54, 59
11 एफआईआर नं0 28 दिनांक 11-1-09, भा.द.सं की धारा अन्तरार्गत 148, 149, 452, 323, 506
12 एफआईआर नं0 29 दिनांक 12-1-09, भा.द.सं की धारा अन्तरार्गत 148, 149, 323, 341, 427, 506

कोतवाली थाना

1 एफआईआर नं0 45 दिनांक 12-2-08, भा.द.सं की धारा अन्तरार्गत 174 ए
2 एफआईआर नं0 49 दिनांक 19-2-08, भा.द.सं की धारा अन्तरार्गत 25 54/59
3 एफआईआर नं0 393 दिनांक 1997, भा.द.सं की धारा अन्तरार्गत 452, 61, 1/14

थाना सेंट्रल

1 एफआईआर नं0 44 दिनांक 14-2-08, भा.द.सं की धारा अन्तरार्गत 174
2 एफआईआर नं0 497 दिनांक 9-11-07, भा.द.सं की धारा अन्तरार्गत 384, 506
3 एफआईआर नं0 163 दिनांक 24-3-09, भा.द.सं की धारा अन्तरार्गत 148,149, 323, 506, 384
4 एफआईआर नं0 517 दिनांक 1-9-08, भा.द.सं की धारा अन्तरार्गत 174
5 एफआईआर नं0 697 दिनांक 5-8-09, भा.द.सं की धारा अन्तरार्गत 454, 380, 511, 323

इनके अलावा दो मुकदमें थाना शहर बल्लभगढ़ के व एक कोतवाली का और है जिनका विवरण उपलब्ध नहीं हो सका।

इससे भी बड़ी बात तो यह है कि पार्षद का चुनाव लड़ते वक्त इसी सेक्टर-7 थाना की पुलिस ने इसे किसी प्रकार का अपराधी न होने का प्रमाण पत्र भी जारी कर के दिया था। यदि पुलिस ऐसा प्रमाणपत्र जारी न करती तो यह अपराधी चुनाव ही नहीं लड़ सकता था। देखा जाए तो भप्पा को अपराधी व नेता बनाने में पुलिस एवं प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहा है। वैसे वह रहस्य भी किसी से छिपा नहीं कि अपराधी जितना बड़ा होता जाता है उसको मिलने वाला पुलिस व राजनीतिक संरक्षण भी उनता ही अधिक होता जाता है।

अपराध की दुनिया से राजनीति में आने वाला भप्पा कोई पहला या आखरी नहीं है। इसी के एक साथी को पिछले दिनो चौटाला पार्टी ने अपना जिला युवा अध्यक्ष नियुक्त किया है। अपराध से पैसा कमाने और फिर पैसे से राजनीति में जगह बनाने का चलन अब काफी बढ चला है। हर पार्टी में इस तरह के लोगों की जरूरत बनी रहती है। इससे जहां पार्टियों को बाहुबल उपलब्ध हो जाता है वहीं बाहुबलियों को गुड़ागर्दी के द्वारा लूट पाट मचाने में काफी सुविधा हो जाती है। पुलिस उस पर आसानी से हाथ नहीं डालती बल्कि वह पुलिस वालों की नियुक्तियां व तबादले आदि करवाता है।

भप्पा की अभी तो यह पहली सीढी है यदि कृष्णपाल जैसे नेताओं का आर्शीवाद व कायर जनता का सहयोग मिलता रहा तो यह भी एक दिन बिहार के शाहबुद्दीन इस्लामुद्दीन, साधू यादव व पप्पू यादव के रिकार्ड तोड़ देगा।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष कृष्णपाल की जानकारी हेतु भप्पा के विरूद्ध दर्ज आपराधिक मुकदमों का विवरण उपरोक्त बॉक्स में दिया जा रहा है।

वाम नेता खुद को बदलें या बाहर जाएं: वर्धन

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की सत्ता से वामपंथी दलों की विदाई को 'निर्णायक क्षण' करार देते हुये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के महासचिव एबी वर्धन ने अपनी पार्टी के नेताओं को आगाह किया है वे बदलें अथवा अलग-थलग पड़ जाने के लिए तैयार रहें। वर्धन ने याद दिलाया कि उनकी ओर से पहले ही वाम नेताओं के 'दंभ' को लेकर आगाह किया गया था, हालांकि इस करारी शिकस्त के लिए उन्होंने किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। मशहूर पत्रकार करण थापर के साथ बातचीत में वर्धन ने अपनी पार्टी के नेताओं को आगाह करते हुये कहा, ''कम्युनिस्ट रहिये, लेकिन रूढ़िवादी नहीं। जो लोग बदल नहीं सकते, वे बाहर चले जायेंगे। आप खुद को बदलिये अथवा बाहर जाने के लिए तैयार रहिये।'' उन्होंने यह भी सलाह दी कि वामपंथी दलों को पश्चिम बंगाल में एक रचनात्मक और जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभानी होगी और रोजाना हर मुद्दे पर सरकार के साथ टकराव से बचना होगा। वर्धन ने कहा, ''इस हार को विनम्रता से स्वीकार कीजिये। यह बड़ा झटका है। विपक्ष में लंबे समय तक बैठने के लिए तैयार रहिये। इससे वाम मोर्चे को फायदा होगा। एक रचानात्मक और जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाइये। सभी मुद्दों को लेकर रोज सरकार के साथ टकराव मत करिये।'' उन्होंने कहा, ''सरकार के साथ असहयोग की कोशिश मत करिये। तृणमूल कांग्रेस हमसे असहयोग करती रही। हमें अच्छी चीजें होने पर सहयोग करना चाहिये।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में रोनिज़ा प्रिंटर्स, 3बी-6, एनआईटी फरीदाबाद से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06